PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
(CIN: U31200UP2003SGC027458)
Registered Address :- Urja Bhawan, Victoria Park, Meerut(UP)-250001
Phone No.:- 0121-2665734, 2666161 Fax No. :- 0121-2668038
Email :- dgmfpvvnl@gmail.com, pvvnlacc@gmail.com
Websites :- www.pvvnl.org
ISO 9001 : 2015 GSTIN : 09AAECP5610N1Z4 PAN : AAECP 5610

पत्रांक : 6146 /प0वि0वि0नि0लि0/मेरठ/लेखा दिनांक : 22 AUG 2017

विषय :– पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी के आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी0एस0टी0 से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 5962 दिनांक 16.08.17 के अनुक्रम में निगम के अन्तर्गत जी0एस0टी0 लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश अनुपालन हेतु जारी किये जाते है :–

1. Orders where price quoted are exclusive of taxes :

ऐसे अनुबन्ध जहां पूर्व में समाग्री हेतु एक्सवर्क्स दरें पैकिंग एवं फारवर्डिंग भाड़ा एवं बीमा आदि की दरें अनुबन्धों/क्रयादेशों में अंकित की गयी थी एवं यह प्रावधान था कि इन पर (एक्सवर्कस दरों + पैकिंग एवं फारवर्डिंग को जोड़कर) लागू ई0डी0 एवं सेल्स टैक्स अलग से वास्तविक दरों पर देय होता था। वर्तमान में जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् इस प्रकार के अनुबन्धों में एक्सवर्कस दरें + पैकिंग फारवर्डिंग + भाड़ा एवं बीमा को जोड़कर उस पर जी0एस0टी0 की देयता होगी।

ज्ञात हो कि वर्तमान व्यवस्था में समग्र आपूर्ति (Composite Supply) की अवधारणा को शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत पैकिंग, फारवर्डिंग, भाड़ा एवं बीमा इत्यादि पर भी जी0एस0टी0 लागू होगा।

2. Orders where price quoted are inclusive of taxes-

ऐसे अनुबन्ध जहां पूर्व में सामग्री की आपूर्ति हेतु दरें सभी टैक्स व दरों को सम्मिलित कर प्राप्त की गयी थी, इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता से टैक्स व दरों का ब्रेकअप ले लिया जाए एवं पुराने टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 लगा कर दरें परिवर्तित कर ली जायें।

ऐसे अनुबन्ध जहां टैक्स व दरों का ब्रेकअप लिया जाना सम्भव नहीं है, इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता को Counter offer दिया जाना उचित होगा जिसमें पुराने अनुबन्धों के अनुसार FOR destination price को Freeze करते हुए उस पर जी0एस0टी0 के भाग को लागू दरों पर गणना कर unload कर दिया जाए। इस प्रकार निगम पर कोई अतिरिक्त देय नहीं आएगा।

उदाहरण के तौर पर –

जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व		
– आपूर्ति राशि (सभी करों सहित)		रू0 100.00
जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात्		
– जी0एस0टी0 की दर	18%	
– आपूर्ति राशि (Excluding GST)	100 118%	रू0 84.75
Add. जी0एस0टी0 @15%		रू0 15.25
– कुल आपूर्ति राशि (जी0एस0जी0 सहित)		रू0 100.00

आपूर्तिकर्ता द्वारा काउन्टर ऑफर स्वीकार न करने की स्थिति में उनके साथ किये गये अनुबन्धों को शार्ट क्लोज करना एवं उनको क्रयादेशित अवशेष मात्रा को न्यूनतम दर में देने वाले अन्य आपूर्तिकर्ता फर्मो से क्रय करना उचित होगा।

3. ऐसे अनुबन्ध जहां केन्द्रीय सेल्सटैक्स के नियमों के अनुसार फार्म–सी देने का प्रावधान था, जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् फार्म–सी की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। अतः तदानुसार अनुबन्धों में संशोधन आवश्यक होगा।

4. <u>Anti-profiteering clause</u> :
CGST अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात कर की दरों में आयी कमी का लाभ विक्रेता द्वारा क्रेता का मूल्यों में कटौती के रूप में दिया जाना है। अतः पूर्व में निर्गत निविदाएं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात पूरी होगी) एवं नई निविदाओं में Anti-profiteering clause जोड़ा जाना चाहिए।

"Anti-profiteering clause as per section 171 of CGST Act 2017, any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced price to PVVNL. Further price quoted by supplier/manufacturer is subject to scrutiny under above section."

5. खण्ड/इकाईयाँ सुनिश्चित करेंगी की जी0एस0टी0 लागू होने के कारण फर्मो द्वारा जी0एस0टी0 में पंजीकरण के उपरान्त जी0एस0टी0 प्रावधानों के अनुसार जो बीजक प्राप्त हो उन्हें पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों एवं उपरोक्तानुसार पारित किया जायें।

(अभिषेक प्रकाश)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : /प0वि0वि0नि0लि0/मेरठ/लेखा दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक(वित्त/वाणिज्य/तकनीकी/का0 एवं प्र0), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता(वि0), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/मुरादाबाद/गाजियाबाद/सहारनपुर।
3. उपमहाप्रबन्धक(कारपोरेट टैक्स), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. उपमहाप्रबन्धक(लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय(वि0), मेरठ/मुरादाबाद/गाजियाबाद/सहारनपुर।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0।

(अभिषेक प्रकाश)
प्रबन्ध निदेशक